दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि : 28.02.2024

जमानत अपील सं. 2216/2023

अनूप भेंगरा @छोटू ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री शमशेर के साथ श्री एम. नौशाद सिंह, अधिवक्ता

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार ..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री मनोज पंत, राज्य के लिए अति.लो.अभि.

कोरम:

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>स्वर्णकांत शर्मा, न्याय. (*मौखिक*)</u>

1. तत्काल आवेदन भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 376/363 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ('पॉक्सो') की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सरिता विहार, दिल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी सं. 396/2019 के मामले में नियमित जमानत देने के लिए आवेदक की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं') की धारा 482 के साथ पठित धारा 439 के तहत दायर किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान आवेदक/अभियुक्त को तत्काल मामले में झूठा फंसाया गया है।आगे यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से माना था कि शिकायतकर्ता किसी धमकी या दबाव के अंतर्गत है।यह तर्क दिया जाता है कि शिकायतकर्ता के एम..एल.सी के अनुसार, शिकायतकर्ता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है। यह तर्क दिया जाता है कि कथित अपराध के आयोग में वर्तमान आवेदक/अभियुक्त की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए,यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. का तर्क है कि वर्तमान आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, और शिकायतकर्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता मुकरा नहीं है, और इस न्यायालय का ध्यान विचारण न्यायालय द्वारा पारित जमानत के आदेश की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके माध्यम से वर्तमान आवेदक/अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. का यह भी तर्क है कि अंतिम बर्खास्तगी आदेश पारित होने के बाद, शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज करने के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कोई और कार्यवाही नहीं हुई है, हालांकि इस मामले में आरोप वर्ष 2022 में ही तय किया गया था। इसलिए वर्तमान जमानत अर्जी खारिज की जाए।

4. इस न्यायालय ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबोधित तर्कों को सुना है और राज्य के लिए अति.लो.अभि. ने अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है।

5. वर्तमान आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ संक्षेप में, आरोप यह है कि वर्तमान आवेदक/आरोपी शिकायतकर्ता को झारखंड में उसके गांव से दिल्ली लाया था, और बाद में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। आरोप है कि

वर्तमान आवेदक/आरोपी ने उसे दिल्ली के एक मकान में नौकरी दिलवा दी थी। इसके बाद, वर्तमान आवेदक/आरोपी शिकायतकर्ता को जसोला, सरिता विहार, दिल्ली में अपने कमरे में ले गया था और 24.10.2019 को उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इस घटना की सूचना 25.10.2019 को पुलिस अधिकारियों को दी गई, जब शिकायतकर्ता के गांव के निवासी सुनील ने शिकायतकर्ता को वर्तमान आवेदक/आरोपी के कमरे के बाहर रोते हुए पाया था।

6. इस अदालत ने देखा कि कथित घटना के समय शिकायतकर्ता केवल 12 वर्ष और 8 महीने की आयु का थी। यह ध्यान दिया जाता है कि शिकायतकर्ता को झारखंड से दिल्ली लाया गया था, जब वह संबंधित पुलिस उपायुक्त के माध्यम से 03.08.2022 को गवाही के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश में उल्लेख किया था कि अदालत द्वारा प्रयास किए जाने के बाद भी गवाह चुप रहा। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आगे यह ध्यान दिया गया था कि पीड़िता को अदालत द्वारा परामर्श के लिए परामर्शदाता के पास भेजा गया था, और परामर्शदाता द्वारा यह बताया गया था कि शिकायतकर्ता अत्यधिक भावनात्मक संकट, उदासी, चिंता और निराशा में था, शिकायतकर्ता परामर्शदाता के साथ ठीक से संवाद करने में भी सक्षम नहीं था। पीड़ित की परामर्श रिपोर्ट को देखने के बाद विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

> ""पीड़िता की परामर्श रिपोर्ट दायर की गई है और सी.डब्ल्यू.सी की रिपोर्ट के अनुसार गवाह भावनात्मक संकट, उदासी और चिंता में था, पीड़िता में निराशा मौजूद थी, पीड़िता ठीक से संवाद करने में सक्षम नहीं थी और पीड़िता बार-बार कह रही है कि वह अपने परिवार के पास घर जाना चाहती थी। चूंकि पीड़ित तनाव में था और वह अपराध करने में सक्षम नहीं था और न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पीड़िता की स्थिति भी यही थी, इसलिए, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी यह उचित नहीं समझता है कि पीड़िता का साक्ष्य तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए बल्कि पीड़ित को संकट से उबरने के लिए समय और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह ठीक से गवाही दे सके। तदनुसार, पीड़िता अपने परिवार में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है और जां.अधि को निर्देश दिया जाता है कि वह पीड़िता के लिए व्यक्तिगत रूप से या वी.सी के माध्यम से परामर्श सत्र की व्यवस्था करे ताकि पीड़िता सदमे और पदच्युत हो सके। इस बीच मामले को 19.09.2022 के लिए एस.एफ सं. 2 और 3 पर गवाहों के साक्ष्य के लिए तय किया गया है। पीड़ित को 04.11.2022 को साक्ष्य के लिए बुलाया जाए।"

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश में आगे उल्लेख किया था कि चूंकि गवाह भावनात्मक संकट, उदासी और चिंता में था, इसलिए आरोपी को जमानत देने से पीड़ित का संकट बढ़ेगा और आरोपी पीड़ित को धमकी भी दे सकता है।

8. इस अदालत ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता के 28.10.2019 को दर्ज किए गए बयान को भी देखा है, जिसमें उसने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि आरोपी उसे नए कपड़े और मोबाइल फोन दिलाने के बहाने जबरन दिल्ली लाया था, हालांकि, वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, वह उसे रांची से जबरन दिल्ली लाया था। वह उसे कहीं काम के लिए ले गया था, लेकिन आरोपी उसे कुछ नहीं दे रहा था। एक साल बाद, जब उस जगह पर काम करने के बावजूद जहां उसने उसे काम पर रखा था, जब आरोपी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था, तो पीडिता ने जोर देकर कहा कि उसे आरोपी द्वारा वेतन दिया जाए, हालांकि, वह कहता रहा कि वह उसे घर नहीं भेजेगा और उसे काम करना जारी रखना चाहिए। वह उस घर में बीमार पड़ गई थी जहां वह काम कर रही थी, वह उसे दिल्ली में जसोला में अपने घर ले गया था और उसका यौन शोषण किया था। पीडिता ने अपने गांव के सुनील को इस घटना के बारे में बताया था। अपने बयान में, पीड़िता ने आगे कहा था कि वर्तमान आरोपियों द्वारा पहले भी उसका यौन उत्पीड़न किया गया था जब वे अपने गांव से दिल्ली आयी थी। फिर पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद जांच की गई।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान आवेदक/अभियुक्त को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान में उल्लिखित सभी तथ्य गलत हैं,

जिसमें शिकायतकर्ता को दिल्ली लाया गया था। इस संबंध में, यह न्यायालय ध्यान देता है कि दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज बयान के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता को वर्तमान अभियुक्त/आवेदक द्वारा उनके घर में नियुक्त किया गया था, जो स्वयं शिकायतकर्ता के दावे की पुष्टि करता है कि उसे वर्तमान आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिल्ली लाया गया था और उसके द्वारा नियोजित किया गया था। जांच के दौरान, यह भी पता चला है कि शिकायतकर्ता 2012 से 24.05.2019 तक रांची, झारखंड के एक स्कूल में पढ़ रही थी और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी और वह 8$^{वां}$ में पढ़ रही थी जब उसे दिल्ली लाया गया था।

10. रिकॉर्ड पर दायर स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि एम.एल.सी में, डॉक्टर ने "हाइमन टॉर्न, ओल्ड टियर पॉजिटिव" की राय दी थी और शिकायतकर्ता ने "वर्तमान आवेदक/अभियुक्त द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का कथित इतिहास" दिया था।

11. यह न्यायालय एक नाबालिग पीड़ित पर रोजगार के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी के गहरे प्रभाव की वास्तविकताओं पर ध्यान देता है, जो केवल शारीरिक नुकसान से परे है जो स्थायी मानसिक सदमे को प्रभावित करता है। ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक क्षति भौतिक रूप से दिखने वाले क्षति से कहीं अधिक है। **यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विद्वान विचारण न्यायालय के**

समक्ष पीड़ित की गवाही में देरी, जिसे अक्सर सदमे से स्वास्थय लाभ की जटिल प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, अभियुक्त के लिए जमानत मांगने के आधार के रूप में काम नहीं करना चाहिए।

12. वर्तमान मामले में न केवल एक नाबालिग, जो मात्र 12 वर्ष की है, के खिलाफ किए गए यौन उत्पीड़न के परेशान करने वाले आयाम शामिल हैं, बल्कि मानव तस्करी की गंभीर वास्तविकता को भी उजागर करता है, जो शोषणकारी श्रम प्रथाओं के लिए व्यक्तियों का शोषण करता है। अदालत यह ध्यान देती है कि पीड़िता अभी भी कथित घटना के सदमे से जूझ रही है, और उसका बयान दर्ज किए जाने से पहले परामर्श का इंतजार कर रही है। आगे यह ध्यान दिया जाता है कि स्थिति की गंभीरता और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की व्यापक जांच को देखते हुए, यह न्यायालय अभियुक्त को जमानत देना अनुचित पाती है। जमानती मामलों पर फैसला करते समय, अदालतों को न केवल आरोपी के जमानत के अधिकार पर विचार करते हुए बल्कि ऐसे जघन्य अपराधों से सुरक्षा के समाज के अधिकार को बरकरार रखने और पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। इस उदाहरण में, जमानत से इनकार करना आवश्यक है, विशेष रूप से पीड़ित की अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए जिसे इस तरह के गंभीर कृत्यों से गुजरना पड़ा।

13. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़िता कथित घटना के सदमे से बाहर नहीं आई है क्योंकि जब वह केवल 12 वर्ष की थी और स्कूल में पढ़ रही थी तब उसे नए कपड़े और मोबाइल फोन खरीदने के बहाने जबरन दिल्ली लाया गया था और बाद में वर्तमान आवेदक/आरोपी द्वारा कई मौकों पर कथित रूप से बलात्कार या यौन शोषण किया गया था। यह न्यायालय पीड़िता की पढ़ाई में विराम के प्रभाव पर भी ध्यान देता है जिसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

14. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, और शिकायतकर्ता का सबूत अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां कि शिकायतकर्ता भावनात्मक संकट में था और ठीक से संवाद करने में सक्षम नहीं था, इस कारण से यह न्यायालय इस स्तर पर वर्तमान आवेदक/अभियुक्त को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है। यह सुझाव के अनुसार आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं देने का मामला नहीं है, बल्कि यौन शोषण और मानव तस्करी के सदमे के कारण "गवाही देने में सक्षम नहीं होने" का मामला है।

15. ऐसे मामलों में जमानत देने से बड़े पैमाने पर समाज में एक गलत सन्देश भेजा जाएगा। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान

मामले के रूप में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपी व्यक्ति, जिसके परिणामस्वरूप एक युवा लड़की के जीवन में गहरे परिवर्तन होते हैं, को इस आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है कि पीड़िता उनके खिलाफ गवाही देने की स्थिति में नहीं है, जबकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वह केवल प्रभाव के कारण अभियुक्त के खिलाफ गवाही के लिए बोलने में अक्षम हो गई है क्योकि 12 साल की छोटी उम्र में अपने घर-परिवार से हजारों मील दूर उसे यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी के कारण हुए सदमे का सामना करना पड़ा।

16. तदनुसार, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

17. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां व्यक्त की गई कोई भी बात मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होगी।

18. आदेश को तत्काल वेबसाइट पर डाला जाए।

स्वर्ण कांत शर्मा, न्याय.

फरवरी 28, 2024/एचएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*